न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 95 / 2014

1 नेमीचन्द पुत्र तुलछाराम।
2 आचुकी देवी पत्नी चौथुराम समस्त जाति रैगर निवासीगण ढ़ाणी चुड़ोली तहसील धोद जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी ढाणी चुडौली तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 15.04.2014
न्यायालय सहायक कलेक्टर (दितीय) सीकर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनुपम कायल
बउनवानी आवेदन बलबीर बनाम नेमीचन्द
आदि मुकदमा नम्बर 156 / 2012

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामस्वरूप तिरतिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 03.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 156/2012 में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष रेस्पोडेंट ने दावा व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया। ग्राम ढ़ाणी चुडोली तहसील धोद जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 1.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.11 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 58 रकबा 2.06 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 50 आबादी भूमि है जिसमें प्रार्थी ढाणी व मकान बनाकर मय परिवार आबाद है परन्तु अप्राथीगण/अपीलांट ढाणी के सामने अवैध निर्माण कार्य कर प्रार्थी की भूमि को वेस्ट, डेमेज, एलाइनेट कर रहे है। अत इन्हे तादौराने वाद पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पक्षकारो में विवाद खसरा नम्बर 50 को लेकर है। हमारे दादा ने 1965 में 50 रूपये में गोविन्दराम से भूमि क्रय कर ली उसी समय से मकान बनाकर विधुत कनेक्शन लेकर हम आबाद है। सिविल कोर्ट में टी.आई. खारिज होना स्वीकार है। हमारे कथनों की ताईद हेतु न्यायालय मौका रिपोर्ट करवा सकता है। हमारी लिखावट गलत है तो रेस्पोडेंट को मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व हैं। अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां हमारी खातेदारी की है। हमने कोई भूमि विक्रय नही की। खसरा नम्बर 50 में हमारे मकान पशुओं का बाडा आदि बने हुये है। खसरा नम्बर 50 को अपीलांट द्वारा बेचान कर दिया गया तो रेस्पोडेंट को अपूरणीय क्षति होगी। सिविल न्यायालय में भी खसरा नम्बर 50 के सम्बंध में पेश दावे में टी.आई. खारिज की जा चुकी है तथाकथित लिखावट में हमारे दादा का अंगुठा निशानी नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में नक्ल जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार खातेदारी प्रार्थी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे उनका कब्जा काश्त साबित हो। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपने हितो की रक्षा के लिये अस्थाई निषेधाज्ञाा प्राप्त कर सकता है। विचारण न्यायालय में तथ्यों का सम्पूर्ण विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर